

शिशुजन्म से पूर्व, उसके दौरान और पश्चात् प्रसूति की देखभाल चाहने और प्राप्त करने के लिए :

1
अनुच्छेद I

हर महिला का अधिकार है नुकसान और बुरे व्यवहार से मुक्त होना कोई आपके साथ शारीरिक रूप से बुरा बर्ताव नहीं कर सकता

2
अनुच्छेद II

हर महिला का अधिकार है जानकारी, सूचित सहमति और असहमति और प्रसूति देखभाल के दौरान साहचर्य सहित उसकी पसंद और प्राथमिकताओं का सम्मान आपकी जानकारी और सहमति के बिना कोई भी आप पर दबाव या कोई कार्य नहीं कर सकता

3
अनुच्छेद III

हर महिला का अधिकार है एकान्तता और गोपनीयता आपको या आपकी व्यक्तिगत जानकारी को कोई भी प्रदर्शित नहीं कर सकता

4
अनुच्छेद IV

हर महिला का अधिकार है मर्यादा और सम्मान का व्यवहार मिलना कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता या अपशब्द नहीं बोल सकता

All rights are grounded in established international human rights instruments, including the Universal Declaration of Human Rights; the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights; the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; the International Covenant on Civil and Political Rights; the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; the Declaration of the Elimination of Violence Against Women; the Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on preventable maternal mortality and morbidity and human rights; and the United Nations Fourth World Conference on Women, Beijing. National instruments are also referenced if they make specific mention of childbearing women.

This charter was developed collaboratively by a multi-stakeholder community of concern, convened by the White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, with expertise bridging research, educational, clinical, human rights, and advocacy perspectives. This work is supported by USAID through the Health Policy Project.

सुरक्षित मातृत्व, मृत्यु और असमर्थता की रोकथाम से कहीं अधिक है यह हर महिला की मानवता, संवेदनाओं, चुनावों और प्राथमिकताओं के प्रति सम्मान है।

सम्मानपूर्वक प्रसूति देखभाल :
प्रसूता महिलाओं
के व्यापक
अधिकार



5
अनुच्छेद V

हर महिला का अधिकार है समानता, भेदभाव से मुक्ति और निष्पक्ष देखभाल कोई भी आपके साथ इसलिए भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें आपके बारे में कुछ पसंद नहीं है।

6
अनुच्छेद VI

हर महिला का अधिकार है उच्चतम स्तर तक प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य देखभाल आपकी आवश्यकता के अनुसार प्रसूति देखभाल मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता

7
अनुच्छेद VII

हर महिला का अधिकार है आज़ादी, राजनैतिक स्वतंत्रता, आत्म निर्णय और जबरदस्ती से छुटकारा कानूनी अधिकार के बिना कोई भी आपको या आपके बच्चे को रोक कर नहीं रख सकता

प्रसूति देखभाल के दौरान असम्मान और बुरा व्यवहार महिलाओं के मूलभूत मानव अधिकारों का उल्लंघन है।

